तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-02-2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया अधिवक्ता उपस्थित अप्रार्थीगण 1,1 लगायत 1,7 अधिवक्ता बावजूद हिदायत अनुपस्थित रहे एवं अप्रार्थीगण भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता को बार-बार अवाजे लगवायी गई किन्तु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर T I अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थिया अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 18.02.2025 को पेश हो।	
18.02.2025	पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। प्रार्थिया अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन करने के उपरान्त हमारे मत में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद प्रति संलग्न शामिल बाद रहे। उपखण्ड अधिकारी नांगेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती भावना सिंह(RAS)

प्रार्थना संख्या 20/2014
दायरा दिनांक 06.03.2014

बउनवान

मन्जुकंवर पत्नी किशनसिंह जाति राजपूत निवासी बालापुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी(राज)।
–प्रार्थिया

बनाम

1. हरजीलाल पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी बालापुरा मृतक के कायम मुकाम
1/1 गीताबाई पत्नी हरजीलाल जाति राजपूत निवासी बालापुरा तहसील इन्द्रगढ़
1/2 राजू पुत्र हरजीलाल जाति राजपूत निवासी बालापुरा तहसील इन्द्रगढ
1/3 विक्रम पुत्र हरजीलाल जाति राजपूत निवासी बालापुरा तहसील इन्द्रगढ
1/4 रेनाबाई पुत्री हरजीलाल जाति राजपूत निवासी बालापुरा तहसील इन्द्रगढ
1/5 सरोजबाई पुत्री हरजीलाल जाति राजपूत निवासी बालापुरा तहसील इन्द्रगढ
1/6 गणेश बाई पुत्री हरजीलाल जर्ये नाबालिक संरक्षक माता गीताबाई पत्नी हरजीलाल
जाति राजपूत निवासी बालापुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
1/7 सिन्टुबाई पुत्री हरजीलाल जर्ये नाबालिक संरक्षक माता गीताबाई पत्नी हरजीलाल
जाति राजपूत निवासी बालापुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2. (विलोपित)गोपाल पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी बालापुरा तहसील इन्द्रगढ़
जिला बून्दी, राजस्थान।
3. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी,राजस्थान।
–अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट0

1. श्री बालकिशन रायका(अधिवक्ता प्रार्थिया)
2. श्री हेमंत योगी(अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/7)
3. अप्रार्थी संख्या 3 अनुपस्थित

दिनांकः– 18.02.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खाता संख्या 75 खसरा संख्या 261 रकबा 1.08है0, खसरा संख्या 162 रकबा 0.20है0, खसरा संख्या 282 रकबा 0.16है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.44है0 वाके ग्राम बालापुरा तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है। वाद ग्रस्त आराजी खसरा संख्या 282 रकबा 0.16है0 जो प्रार्थिया के खातेदारी अधिकार की है जिसमें अप्रार्थिगण संख्या 1 ता0 2 का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थिया के महिला होने का फायदा उठाकर अप्रार्थिगण जबरन ताकत के बल पर खसरा संख्या 282 से मिट्टी खोद रहे है। प्रार्थिया के मना

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

करने पर लडाई झगडा एवं जान से मारने की धमकी देते है। अप्रार्थी 1 ता0 2 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वे प्रार्थिया की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर मिट्‌टी खोद कर ले जावे एवं प्रार्थिया की जमीन पर कोई क्षति पहुंचाये। यदि अप्रार्थिगण उक्त कृत्य करने में कामयाब होते है तो प्रार्थिया को अपनी भूमि से वंचित होना पडेगा जिससे प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं होगी। अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं 1 ता0 2 को कदर जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थिया की खातेदारी भूमि से ताकत के बल खुदाई कर मिट्‌टी खोद कर गड्‌डे नहीं करें एवं खातेदारी कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दख़लांदाजी नहीं करें।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जर्ये नोटिस अप्रार्थिगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा संख्या 282 के दक्षिण में अप्रार्थिगण के कब्जे खातेदारी की अराजी खसरा संख्या 281 स्थित है। जिस पर इस दावे की आड में झूठे तथ्य व्यक्त कर प्रार्थिया अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर प्रार्थिगण की उक्त आराजी पर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहती है। अप्रार्थिगण ने कभी भी खसरा संख्या 282 पर अतिक्रमण नहीं किया है न ही मिट्‌टी खोदी है अपितू मंजू कंवर अप्राथिगण के खेत खसरा संख्या 281 पर अतिक्रमण पर उतारू होकर स्वयं प्रार्थिया के खेत खसरा संख्या 261 पर बने नाजायज ईंट भट्‌टे के लिए अप्रार्थिगण के खेत से मिट्‌टी खोदना चाहती है। प्रार्थिया की अप्रार्थिगण से बात नहीं होने से कोई वाद उत्पत्ति नहीं हुई है। प्रार्थिया व उसका पति नाजायज रूप से खसरा संख्या 281 पर अतिक्रमण कर उतारू होकर नाजायज कब्जा करने व मिट्‌टी खोदने की धमकी दिनांक 03.10.2016 को अप्रार्थिगण को देने से अप्रार्थिगण प्रार्थिया व उसके प्रतिनिधियों को दौराने वाद पाबंद करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थिगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न करने की सूरत में प्रार्थिया अप्रार्थिगण के खाते की भूमि पर गड्‌डे कर देगी जिससे अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं होगी। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थिया व उसके प्रतिनिधि को अप्रार्थिगण के खाते की कृषि भूमि खसरा संख्या 281 वाके ग्राम बालापुरा पर कोई दखलांदाजी नहीं करने हेतु जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावें। प्रार्थिया ने काउन्टर टी0आई0 का जवाब पेश कर कथन किया कि अप्रार्थिगण ने उक्त काउन्टर टी0आई झूठे व बनावटी तथ्यो के आधार पर पेश की है प्रार्थिया व प्रार्थिया के परिवार के किसी भी सदस्य ने अप्रार्थिगण के खाते की खसरा संख्या 281 पर नाजायज रूप से कब्जा नहीं किया ना ही भविष्य में करेंगे दिनांक 03.10.2016 को दोनो पक्षों के मध्य कोई बातचीत नहीं हुई है इस़लिए अप्रार्थिगण की झूठी कहानी के आधार पर प्रार्थिया को पाबंद नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थिगण ने प्रार्थिया के परिवार के सदस्य के विरूद्ध अनुतोष चाहा है किन्तु प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाए जाने से उक्त काउन्टर टी0आई0 खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थिया का जवाब काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थिगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर टी0आई0 खारिज किया जावे। पत्रावली बहस में नियत की गई।

अप्रार्थिगण 1/1 लगायत 1/7 के अधिवक्ता एवं अप्रार्थिगण बाद हिदायत पेशी पर अनुपस्थित रहने से उनके द्वारा प्रस्तुत काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थिया अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी। प्रार्थिया के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए तर्क दिया कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा संख्या 282 रकबा 0.16है0 जो प्रार्थिया के खातेदारी अधिकार की है जिसमें अप्रार्थिगण संख्या 1 ता0 2 का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थिया के महिला होने का फायदा उठाकर अप्रार्थिगण जबरन ताकत के बल पर खसरा संख्या 282 से मिट्‌टी खोद रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

अप्रार्थिगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थिगण प्रार्थिया के कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि पर गड्डे कर देंगे जिससे प्रार्थिया को अपनी भूमि से वंचित होना पडेगा। अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थिगण के विरूद्ध स्वीकार किया जावे।

हमने विद्वान प्रार्थिया अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपस्थित जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या 72 ग्राम बालापुरा तहसील इन्द्रगढ़ के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 282 रकबा 0.1600है0 प्रार्थिया मन्जूकंवर पत्नी किशनसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थिगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर टी0आई0 में कृषि भूमि खसरा संख्या 281 वाके ग्राम बालापुरा तहसील इन्द्रगढ के संबंध में अनुतोष चाहा है जबकि प्रश्नगत आराजी के संबंध में कोई अनुतोष प्रस्तुत काउन्टर टी0आई0 एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थिगण द्वारा अंकित नहीं किया गया है। अप्रार्थिगण का प्रश्नगत अराजी में किसी प्रकार हक अधिकार कानूनन निहित नहीं है। अप्रार्थिगण अधिवक्ता पत्रावली में बहस हेतु नियत दिनांक को बाद हिदायत जानबुझकर अनुपस्थित रहने एवं पत्रावली उपस्थित दस्तावेजात, जवाब प्रार्थना के अवलोकन से प्राथमिक दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थिगण द्वारा प्रार्थिया के कब्जे काश्त की उक्त प्रश्नगत आराजी पर जबरन मिट्टी निकालकर भूमि पर गड्डे किए जा रहे है जो उचित नहीं है। प्रार्थिया प्रश्नगत आराजी की रिकोर्डेड खातेदार है जिसकी कब्जे काश्त की उक्त भूमि को संरक्षण दिया जाना कानूनन आवश्यक है। अप्रार्थिगण को कोई हक अधिकार नहीं है कि वह प्रार्थिया की कब्जे काश्त एवं खातेदार अधिकार की उक्त प्रश्नगत आराजी पर दखलांदाजी करें। हमारे मत में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थिगण स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थिगण 1/1 लगायत 1/7 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक वाद विषयक कृषि भूमि खसरा संख्या 282 रकबा 0.1600है0 वाके ग्राम बालापुरा भू0अभि0नि0 क्षेत्र बलवन तहसील इन्द्रगढ़ में जबरन मिट्टी की खुदाई नहीं करें एवं न ही प्रार्थिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलांदाजी करें ऐसा कृत्य न स्वयं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)